

	<p>राष्ट्रीय सीमा-शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics क्षेत्रीय परिसर, केंद्रीय राजस्व भवन सेक्टर -17 सी, चंडीगढ़-17 Zonal Campus, C. R. Bldg., Sector 17 C, Chandigarh-17 टेल: 0172-2721103, ई-मेल: adgnacin.chd@gov.in</p>	
---	---	---

मिसिल संख्या : NACIN/1/(22)/OTH/369/2020-ADMN

दिनांक: 07.08.2024

कार्यालय आदेश

विषय- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन।

महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिकारियों को नासिन क्षेत्रीय परिसर, चंडीगढ़ की "आंतरिक शिकायत समिति" के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है: -

1	सुश्री वरिंदर कौर , अपर निदेशक, नासिन, चंडीगढ़	समिति की प्रमुख (अध्यक्ष)
2	श्री स्वजेश गुप्ता, अपर सहायक निदेशक, नासिन, चंडीगढ़	सदस्य सचिव
3	श्रीमती मोनिका शर्मा , सी ऐ ओ, नासिन, चंडीगढ़	सदस्य
4	श्रीमती पैन्सी गुप्ता, अपर सहायक निदेशक, नासिन, चंडीगढ़	सदस्य
5	सुश्री शिवली आज़ाद, अधिवक्ता	बाहरी सदस्य

2. समिति कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करेगी और महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट समिति के कार्यों का निर्वहन करेगी। अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर और घटनाओं की श्रृंखला के मामले में, अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आंतरिक समिति को लिखित रूप में कर सकती है।

3. समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं के (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 को नियम 14 के साथ पढ़ते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे अपर महानिदेशक, नासिन, चंडीगढ़ को प्रस्तुत करेगी।

4. समिति के सदस्य अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे।

(सुनील सिंह कटियार)
अपर महानिदेशक

प्रतिलिपि :

1. सुश्री वरिंदर कौर , अपर निदेशक , नासिन, चंडीगढ़
2. श्री स्वजेश गुप्ता, अपर सहायक निदेशक, नासिन, चंडीगढ़
3. श्रीमती मोनिका शर्मा , सी ऐ ओ, नासिन, चंडीगढ़,
4. श्रीमती पैन्सी गुप्ता, अपर सहायक निदेशक, नासिन, चंडीगढ़
5. सुश्री शिवली आज़ाद , अधिवक्ता.
6. सूचना पत्रक